



राजस्थान सरकार  
राजस्थान स्टेट हैल्थ सोसायटी  
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन  
स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, जयपुर

क्रमांक: एफ-12 (9)/एन.आर.एच.एम./आयुष/09/ 7874

दिनांक: 24/03/10

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,  
समस्त जिले।

विषय :- एन.आर.एच.एम. के अंतर्गत पदस्थापित आयुष चिकित्सकों (आयुर्वेद/होम्यो./यूनानी)  
के प्रमाण पत्रों की जांच एवं सत्यापन के क्रम में।

संदर्भ :- इस कार्यालय का पत्र क्रमांक एफ-12 (2) एन.आर.एच.एम./आयुष/08/3546-48,  
दिनांक 19.8.09, 5815-17 दिनांक 15.12.09, 99-100 दिनांक 18.2.10 एवं 7312  
दिनांक 3.3.10

निर्देशान्तर्गत विषय में लेख है कि एन.आर.एच.एम. के अंतर्गत आपके जिले हेतु चयनित आयुष  
चिकित्सकों के मूल प्रमाण पत्रों का सत्यापन संबंधित संस्था द्वारा करवाये जाने एवं प्राप्त जांच रिपोर्ट के  
अनुसार अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत कोई भी प्रमाण पत्र, दस्तावेज, शपथ-पत्र कट रचित पाये जाने पर हटाये  
जाने को कार्यवाही किए जाने हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके संबंध में सूचना अप्राप्त है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि एन.आर.एच.एम. के अंतर्गत आपके जिले में पदस्थापित आयुष  
चिकित्सकों (आयुर्वेद/होम्यो./यूनानी) के प्रमाण पत्रों की जांच एवं सत्यापन संबंधित संस्था से  
करवाकर जांच रिपोर्ट मय प्राप्तांक प्रतिशत तत्काल भिजवावे।

परियोजना निदेशक  
एन.आर.एच.एम.

क्रमांक: एफ-12 (9)/एन.आर.एच.एम./आयुष/09/  
प्रतिलिपि निम्न दत्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

दिनांक:

1. जिला समन्वयक आयुष (समस्त जिले)।
2. डी.पी.एम. (समस्त जिले)।
3. रक्षित पत्रावली।

परियोजना निदेशक  
एन.आर.एच.एम.